

# भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड Railway Board

### Office Order No. 21 of 2025

Sub: Addition of Subject in the Subject list of E(SCT)-I branch under EDE(Res.) as item No. 12.

It has been decided to add the subject in the subject list of E(SCT) – I branch under EDE(Res.) as Item No. 12, which is as under:-

'Policy related to granting facilities/recognition to the Associations of Persons with Disabilities regarding reservation in service'.

- 2. Accordingly, the subject list of E(SCT)-I branch has been revised and enclosed as **Annexure-I.**
- 3. The above issues with the approval of the competent authority.

(T. Srinivas)

No. 2025/O&M/7/8 Dated: 07 .03.2025 Joint Secretary/Railway Board Tele No. 011-47845551

Email: t.srinivas1@gov.in

All Officers and Branches in Board's Office, Office at COMFOW Building and Daya Basti, New Delhi.

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)
DG/HR, AM/HR, AM/Staff, PED/IR, and EDE(Res.)

#### E(SCT) - I

- Policy matters regarding reservation of posts for SCs/STs and OBCs on Indian Railways and other allied matters.
- 2. Court cases on policy matters.
- 3. Recommendations of the Parliamentary Committee for the welfare of SCs/STs on the Railways.
- 4. Matters relating to all India SCs/STs Railway Employees Association including Court Cases.
- Crash Programme for wiping out the shortfalls of SCs/STs on Indian Railways.
- 6. Statistical returns such as half yearly/Annual etc. <u>in respect of intake of SCs/STs and OBCs in Railway Services etc.</u>
- 7. Material for GM's Conference, CPO's Conference, High Power Committee Meetings on SCs/STs.
- 8. Other facilities to SC/ST employees.
- 9. Matters relating to All India OBC Railway Employees Federation/Associations including Court Cases.
- 10. Matters relating to other caste-based unrecognized Railway Employees Associations.
- 11. Consideration of proposals from Railways/Production Units for dereservation of posts reserved for SCs/STs.
- 12. Policy related to granting facilities/recognition to the Associations of Persons with Disabilities regarding reservation in service (O.O. No. 21 of 2025).

### **Matters relating to Minorities:**

- a. Collection, collation & transmission of data regarding intake of minorities, representation of minorities in Selection Committees and total number of minority employees on the zonal railways.
- b. Implementation of directions regarding minorities from Ministry of Welfare and Social Justice.
- c. Representations received from Minorities except individuals.
- d. Compilation of information submitted through PCDOs to MS.
- e. Reservation for the economically weaker sections and collection of information thereof. (OO No. 24 of 2019).

f. Reference to NCOBC(National Commission for Other Backward Classes) on policy matters for OBC railway Employees.(**OO No. 01 of 2020**)

\*\*\*\*

# भारत सरकार/Government of India रेल मंत्रालय/Ministry of Railways रेलवे बोर्ड/Railway Board

### 2025 का कार्यालय आदेश सं. 21

विषय: कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण) के अधीन स्थापना (अजा एवं अजजा)-। शाखा की विषय सूची में मद सं. 12 के रूप में विषय शामिल करना।

कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण) के अधीन स्थापना (अजा एवं अजजा)-। शाखा की विषय सूची में मद सं. 12 के रूप में विषय शामिल करने का विनिश्चय किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

'सेवा में आरक्षण के संबंध में दिव्यांगजन संघों को सुविधाएं/मान्यता देने संबंधी नीति।'

- 2. तदनुसार, स्थापना (अजा एवं अजजा)-। शाखा की विषय सूची संशोधित कर दी गई है और अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न है।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2025/ओएंडएम/7/8

दिनांक: 07.03.2025

(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

दूरभाष: 011-47845551

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

## प्रतिलिपि प्रेषित :-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत रेल राज्य मंत्री (एस)

महानिदेशक/मानव संसाधन, अपर सदस्य मानव संसाधन, अपर सदस्य/कार्मिक, प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध और कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण)

### स्थापना (अजा एवं अजजा)-।

- 1. भारतीय रेलों में अजा/अजजा तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी नीतिगत मामले और अन्य संबद्ध मामले।
- 2. नीतिगत मामलों पर न्यायिक मामले।
- 3. रेलों पर अजा/अजजा के कल्याण के लिए संसदीय समिति की सिफारिशें।
- 4. न्यायिक मामलों सहित अखिल भारतीय अजा/अजजा रेल कर्मचारी एसोसिएशन से संबंधित मामले।
- 5. भारतीय रेलों पर अजा/अजजा की कमी को समाप्त करने के लिए त्वरित कार्यक्रम।
- 6. रेल सेवा आदि में अजा/अजजा तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती के संबंध में छमाही/वार्षिक आदि जैसे सांख्यिकी विवरणी।
- 7. अजा/अजजा संबंधी मुख्य कार्मिक अधिकारी सम्मेलन, महाप्रबंधक सम्मेलन, उच्च स्तरीय समिति की बैठकों के लिए सामग्री।
- 8. अजा/अजजा कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं।
- 9. न्यायिक मामलों सहित अखिल भारतीय अन्य पिछड़े वर्गों के रेल कर्मचारी फेडरेशन/एसोसिएशनों से संबंधित मामले।
- 10. जाति-आधारित अन्य गैर-मान्यताप्राप्त रेल कर्मचारी एसोसिएशनों से संबंधित मामले।
- 11. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के लिए रेलों/उत्पादन इकाइयों से प्रस्तावों की विवेचना।
- 12. सेवा में आरक्षण के संबंध में दिव्यांगजन संघों को सुविधाएं/मान्यता देने संबंधी नीति। (2025 का कार्यालय आदेश सं. 21)

### अल्पसंख्यकों से संबंधित मामले

- (क) अल्पसंख्यकों की भर्ती, चयन समितियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय रेलों में अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों की कुल संख्या संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, मिलान और प्रेषण।
- (ख) कल्याण एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय से अल्पसंख्यकों संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।
- (ग) व्यक्तियों को छोड़कर अल्पसंख्यकों से प्राप्त अभ्यावेदन।
- (घ) पीसीडीओ के माध्यम से सदस्य कार्मिक को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का संकलन।
- (ङ) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण और तत्संबंधी सूचना एकत्र करना। (2019 का कार्यालय आदेश सं. 24)
- (च) अन्य पिछड़ा वर्ग रेल कर्मचारियों से संबंधित नीतिगत मामलों पर एनसीओबीसी (राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग) के संदर्भों का निपटान। (2020 का कार्यालय आदेश सं.01)

\*\*\*\*